**(वाद सं0.-167/4/26/2020)**

20.07.2021

प्रसंगाधीन मामला जिला खाद्य निगम पटना में सहायक प्रबंधक के पद पर प्रतिनियुक्ति के अवधि में कार्य करने हेतु परिवादी अवधेश कुमार द्वारा लिये गये अग्रिम का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान नहीं कियें जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी " **बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0 पटना के पत्रांक 4521 दिनांक–30.06.2021 एवं 4625 दिनांक–02.07.2021 के आदेश के आलोक मे श्री अवधेश कुमार तत्कालीन सहायक प्रबंधक सह प्रवेक्षकीय पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग पटना के विभागीय परिवहन राशि का विपत्र वर्ष अगस्त, 2015 से अक्टुबर, 2016 तक मो0 कुल राशि 17,21,272=00 (सतरह लाख एकईस हजार दो सौ बहतर रू0) का भुगतान PFMS के माध्यम से दिनांक–10.07.2021 के भारतीय स्टेट बैंक औफ इण्डिया श्री कृष्णपुरी के खाता नं0 10339028870 IFSC कोड SBIN0003114 मे कर दिया गया है।**

**आज की तिथि में श्री अवधेश कुमार, तत्कालीन सहायक का कोई दावा लम्बित नही है।"**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति(पृष्ठ–47 / प0–42 / प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**

सदस्य

<u>निबंधक</u>